उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-84/2020/4577/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-64/2017
लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-74/2020/4147/71-2-20-के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प के निर्माण हेतु धनराशि रू0 442.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 88.494 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश के 'विषय', 'प्रस्तर-5' एवं 'प्रस्तर-6' के पंक्ति-1 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष ''2020-2021'' के स्थान पर त्रुटिवश वित्तीय वर्ष ''2019-20'' अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश के 'विषय', 'प्रस्तर-5' एवं 'प्रस्तर-6' के पंक्ति-1 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष ''2019-20'' के स्थान पर वित्तीय वर्ष ''2020-2021'' पढा एवं समझा जाय।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कुलदीप कुमार रस्तोगी
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2020/4577(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4।
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक यूनिट-10, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in